प्रभात खबर

पटना, सोमवार
1.10.2018

सख्ती. रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने दिया आदेश

बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर आज से पांच गुना जुर्माना

संवाददाता ▷ पटना

चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं का अब तक बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को आज से रजिस्ट्रेशन पांच गुना महंगा पड़ेगा. रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले चालू प्रोजेक्ट के लिए पांच लाख या रजिस्ट्रेशन फी के पांच गुना तक जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. एक हजार वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की चालू परियोजनाओं की जुर्माना राशि में कोई अंतर नहीं होगा. ऐसी परियोजनाओं के •बाकी पेज 15 पर

1000
वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली चालू परियोजनाओं पर लागू होगा यह आदेश

- जुर्माने के साथ 31 अक्तूबर तक बिल्डर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
- कंपनी के रजिस्ट्रेशन पर जमा करना होगा एक लाख रुपये जुर्माना

750 प्रोजेक्ट के मिले आवेदन, 190 ही मंजूर

बिहार रेरा को अब तक करीब 750 परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, लेकिन इनमें से महज 190 को ही मंजूरी मिल सकी है. 39 परियोजनाओं के आवेदन स्क्रूटनी में, 161 प्रोसेस में और 195 आवेदन के मामले में संबंधित बिल्डर से पूछताछ चल रही है. बाकी 165 परियोजनाओं के आवेदकों ने अब •बाकी पेज 15 पर

एजेंट के रजिस्ट्रेशन को अब लगेंगे ₹20 हजार

रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन फी भी बढ़ायी है. रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन के आवेदकों को अब 20 हजार रुपये, जबकि रियल एस्टेट कंपनी के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा. एक जुलाई, 2018 के मुकाबले ऐसे लोगों से फिलहाल दोगुना जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है.